न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :— 27 / 2022 तारीख रजू :— 27.05.2022

जीसीएमएस नं0 2022 / 237

पीठासीन अधिकारी — हेमराज गुर्जर (R.A.S.)

1. हेमराज | पुत्रान—मनोहरी सभी जातियान—मीना
2. हेतराम | निवासी—सिकन्दरपुर तहसील—श्रीमहावीरजी
3. मुनीराज | जिला करौली राजस्थान
4. रूपन्ती | पुत्रियॉ—मनोहरी जातियान—मीना
5. रूपवाई | निवासी सिकन्दरपुर तहसील—श्रीमहावीरजी
6. सवित्री | जिला करौली राज0
7. रामनरेश पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी सिकन्दरपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

——— प्रार्थीगण

बनाम

1. मेघसिंह | पुत्रान—हजारी | जाति—मीना निवासी—गढीमौसमाबाद
2. पृथ्वी | | तहसील—श्रीमहावीरजी
3. ऊंकार | | जिला—करौली राजस्थान
4. ब्दरी पुत्र बुदराम
5. श्रीमान तहसीलदार जी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली

————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू—राजस्व अधिनियम की धारा 128 बाबत पत्थरगढी

उपस्थितिः— 1. श्री रघुवीर जाटव वकील प्रार्थी
2. 1 ता 4 की विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवही
3. अप्रार्थी 5 सरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिंनाक :—24.05.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता स0 नया 16 पुराना 13 खसरा न0 114 रकबा 0.10 है0, खसरा न0 175 रकबा .11 है0 खसरा न0 176 रकबा 0.03 है0, खसरा न0 200 रकबा 0.02 है0 खसरा न0 203 रकबा 0.09 है0 खसरा न0 204 रकबा 0.43 है0 खसरा न0 258/149 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम सिकन्दरपुर तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली में स्थित है जिसमें प्रत्येक प्रार्थी का 1/14 हिस्सा है। प्रार्थीगण ने सहखातेदारों से बहामी बटवारा कर लिया है बहामी बटवारे के आधार पर प्रार्थीगण ख0 न0 175, 176 पर काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि को अपनी सुविधा व आवश्यकतानुसार अपने उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 312, 313ग्रसम गढीमौसमाबाद है जो कि अनुसूचित जाति के जाटव व कोली समाज के लोगो के नाम है जबकि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण कब्जा काश्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 175 रकबा 0.11 है0 एवं खसरा न0 176 रकबा 0.03 है0 के पश्चिम दिशा की ओर भूमि ख0न0 312, 313 ग्राम गढीमौसमबाद स्थित है। कि जो प्रतिपक्षी न0 1 ता 4 की कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिपक्षीगण लडाकू प्रवृति के लट्ठ वाले, पैसे वाले एवम् हर प्रकार से ताकतवर व्यक्ति है कि जो प्रतिवर्ष/ हर–वर्ष आवेदकगण की भूमि 175 रकबा 0.11 है0 व खसरा न0 176 रकबा 0.03 है0 के पश्चिम दिशा की ओर बनी मिट्टी की डोल को काटकर/तोडकर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास करते चले आ रहे हैं एवम् आवेदकगण द्वारा मना करने एवं ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करने की कहने पर प्रतिपक्षीगण एकराय होकर हल्ला–हेल कर भय का माहौल पैदा कर गाली–गलोच करते हुए मारने–पीटने, झगडा–फसाद करने को उतारू हो जाते है एवं प्रतिपक्षीगण आये दिन भूमि 175 रकबा 0.11 है0 व खसरा न0 176 रकबा 0.03 है0 की सीमा पर विवाद करते रहते है। आवेदकगण शान्तिप्रिय कृषि कार्य एवं मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन–पोषण करने वाले एवं कानून कायदों को मानने वाले व्यक्ति है, जबकि प्रतिपक्षीगण अपनी मैन पावर एवं दादागिरी से आवेदकगण की भूमि कोदबाकर अपनी भूमि में मिलाना चाहते हैं यानि आवेदकगण की भूमि को दबाने को ही इनकी नियत बनी हुई है। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है कि जिससे आम शान्ति भंग होने का भी पूर्ण अन्देशा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested

और प्रतिपक्षीगण कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवेदकगण के साथ कोई भी अनहोनी वारदात कर सकते है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रतिपक्षीगण, आवेदकगण की भूमि खसरा न0 175 रकबा .11 है0 व खसरा न0176 रकबा 0.03 है0 में आये दिन आवारा पशुओं को घुसा देते है। जिससे आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि में काश्त की गई फसल को नुकसान पहुंचता है और जब आवेदकगण ऐसा कार्य नहीं करने के लिये प्रतिपक्षीगण एवं इनके परिवारजन से कहते हैं तो ये लोग झगडा फसाद करने पर उतारू हो जाते है। इस प्रकार सीमा विवाद व प्रतिपक्षीगण के अनैतिक कार्य से आवेदकगण अपनी कृषि भूमि का पूर्णरूपेण सही रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर पाते है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 17.06.2020 को श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन के आदेशानुसार उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया गया, सीमाकंन को मानने को तैयार नहीं है, इसलिये आवेदकगण अपनी भूमि खसरा न0 175 रकबा 0.11 है0 व 176 रकबा 0.03 है0 का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि 175 रकबा .11 है0 व खसरा न0 176 रकबा 0.03 है0 का सर्वे/सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार जी श्रीमहावीरजी द्वारा कराया जाकर पत्थरगढी करवाई जाकर उसकी रिपोर्ट श्रीमान न्यायालय में मंगवाया जाना आवश्यकीय एवं न्यायसंगत है जिसमें आवेदकगण अपनी कृषि भूमि का शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग–उपभोग कर सके।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आवेदनपत्र वर्णित भूमि ग्राम–सिकन्दरपुर, पटवार हल्का अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली में स्थित है कि जिसके बाबत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण की खातेदारी की भूमि 175 रकबा .11 है0 व खसरा नं0 176 रकवा 0.03 एयर स्थित ग्राम सिकन्दरपुर पटवार हल्का अलीपुरा, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0 के सर्वे/सीमाज्ञान हेतु प्रतिपक्षी नं0 5 तहसीलदार जी तहसील श्रीमहावीरजी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया जिससे आदेशिका दिनांक 07.05.2024 द्वारा अप्राथीगण 1 ता 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी नं0 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा प्रकरण में जबाव पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें प्रार्थीगण की उपस्थिति में तहसीलदार महावीरजी द्वारा गठित टीम ने सीमाज्ञान करा लिया गया है।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल खसरा नक्शा नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2072—75, नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम सिकन्दरपुर तहसील हिण्डौन तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 17.06.2020 पेश किये हैं।

प्रार्थीगण वकील स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 175 रकवा 0.11 ऐयर व खसरा न0 176 रकवा 0.03 ऐयर का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार श्रीमहावीरजी को फरमावें।

प्रार्थीगण वकील को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072—75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 175 रकवा 0.11 ऐयर व खसरा न0 176 रकवा 0.03 ऐयर में प्रार्थीगण मुनीराज हिस्सा 1/14, रूपन्ती हिस्सा 1/14, रूपवाई हिस्सा 1/14, रामनरेश हिस्सा 1/14, सावित्री हिस्सा 1/14, हेतराम हिस्सा 1/14, हेमराज हिस्सा 1/14 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम सिकन्दरपुर तहसील हिण्डौन तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 17.06.2020 में अंकित किया है कि आज दिनांक 17.06.2020 को मुताविक आदेश बहमराह गिरदावर मण्डावरा व हमराह पटवारी अलीपुरा व ढहरा के साथ ग्राम सिकन्दरपुर के खसरा नम्बर 175 रकवा 0.11 ऐयर व 176 रकवा 0.03 ऐयर पर उपस्थित आया। नक्शा व खसरा से [illegible] किया गया। मुक्तकिल बिन्दु से जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया। [illegible] उपस्थित लोगों को सीमा चिन्ह बताये गये। मौका पर्चा पढकर सुनाया ग[illegible] एवं उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 175 व 176 का पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार श्रीमहावीरजी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 175रकबा 0.11 ऐयर, 176 रकवा 0.03 ऐयर ग्राम सिकन्दरपुर का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थ्रगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खसरा नम्बर 175 व 176 के सभी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार श्रीमहावीरजी के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमहावीरजी एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 24.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:04:46 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 24/5/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली